

# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक: शैक्षणिक/

दिनांक: 1-2-2011

## अधिसूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपील क्र.(सिविल) 2056 वर्ष 1999 के निर्णय दिनांक 24-9-2001 के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) तथा नियामक निकायों (Regulatory Bodies) द्वारा विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु पृथक से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश विश्वविद्यालय समन्वय समिति से अनुमोदित हैं, उन पाठ्यक्रमों को अध्ययनशालाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर संचालित करने के लिए मान्यता रहती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की उपाधियों को मान्यता दी गई है और वे सभी उपाधियाँ विश्वविद्यालय द्वारा मान्य हैं।

अतः विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रकार की पृथक से मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव